न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख पेशी	आदेश दिनांक
[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]
21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible]
27. [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

28. रूब्बी पुत्रीयान करीमन जाति मेवान निवासीगण ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)
——:: वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर अलवर जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: संशोधित निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साविक खसरा नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 334 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 344 रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.94 है0 पैमुद हुये है। जो वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसे दावे में आगे विवादित आराजी से सम्बोधित किया जावेगा। आराजी वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा मौके पर काबिज व दाखिल है। रिकार्ड में वादीगण के नाम का अमल दरामद हो रहा है। वादीगण की विवादित आराजी के साथ आराजी खसरा नम्बर 559 व 555 लगता हुआ है। विवादित आराजी के उत्तर दिशा में जो हाल नक्शा ट्रैस में सीमा दिखाई है वो ढेड गटठा कम दिखाई गई है वह आराजी खसरा नम्बर 559 की उत्तरी दिशा से पूर्व की तरफ सीधी दिखानी चाहिये थी। परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने 2029 में नक्शा ट्रेस बनाते समय गलत नक्शा पैमुद किया है। जबकि साबिक रिकार्ड का मसाबी (नक्शा) में साबिक आराजी खसरा नम्बर 334 व 344 के गटठे सही दर्ज है। मौके पर जब आराजी की पैमाईश करते है तो पूरा रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा आता है और नक्शे से पैमाईश करते है तो रकबा कम अंकन होता है। भू–प्रबन्ध विभाग को कानूनन पूर्व में हो रहे इन्द्राजात के अनुसार ही इन्द्राजात करने चाहिये। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को नये इन्द्राजात करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। गलत गटठे के अंकन होने से वादीगण के हकूकों पर कुठाराघात होता है, जो एक्सपार्चा नक्शा प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है, बातिल वो बेअसर है। जिसे वादीगण इसी कदर दुरूस्त साबिक रिकार्ड का मसाबी (नक्शा) के अनुसार इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात तनकीयात कायम की गई एवं वादीगण की बहस सुनी गई। अतः तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है –

तनकी नम्बर 1 – आया साबिक खसरा नम्बर 315, 334, 344 जिसका हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा का वादीगण खातेदार है। —— **वादीगण**

उपखण्ड अधिकारी

... पर था वादी ग्राम आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.94 है0 ... हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर जमाबन्दी साल संवत् 2068-2071 में वादीगण का सहखातेदारी में उनके हिस्से अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.94 है0 साबिक खसरा नम्बर 315, 334, 344 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से बने है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 से बखूबी प्रमाणित है अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादीगण इसी कदर दुरूस्त साबिक रिकार्ड का मसाबी (नक्शा) के अनुसार इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। —— वादीगण

यह तनकी सीध करने का अधिकार वादीगण पर था वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर के साबिक खसरा नम्बर 315, 334, 344 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से बने है। मसाबी (नक्शा) में साबिक खसरा नम्बर 345 व 343 के मध्य से खसरा नम्बर 315 की ओर जाने वाली रेखा जो कि खसरा नम्बर 315 की सीमा पर समाप्त होती है वह सीधी है जबकि नक्शा लट्ठा संवत् 2029 से 2042 में हाल खसरा नम्बर 555 व 560 के मध्य खसरा नम्बर 555 से दक्षिण की ओर खिसकाते हुए रेखांकित की गई है। जिसे नक्शा मसाबी के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 – दादरसी।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से दावा वादीगण बहस वादीगण डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा बहक वादीगण डिकी किया जाकर नक्शा लट्ठा संवत् 2029 से 2042 में नक्शा मसावी (नक्शा) के अनुसार हाल खसरा नम्बर 555 से 559 के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर को आगे खसरा नम्बर 560 की सीमा तक सीधी रेखाकिंत कर नक्शा लट्ठा में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)